

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग-2
ई पत्रावली संख्या-32977
HOUS2-MS/1/90/2022-V-2-Awas Department
देहरादून, दिनांक: 28 फरवरी, 2023
अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-7 के अन्तर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश के सेटेलाइट सेन्टर (Satellite Center), ऊधमसिंहनगर के 06 समीपवर्ती ग्रामों यथा खुर्पिया, देवरिया, चुकटी, बहरभोज, रजपुरा तथा गंगोली अंतर्गत एम्स, ऋषिकेश के सेटेलाइट सेन्टर के परिसीमा उपरांत 1000 मी० के क्षैतिज दायरे में आने वाले सन्निकट क्षेत्र को, इस क्षेत्र की महायोजना निर्माण होने तक फ्रीज जोन घोषित करते हुए समस्त प्रकार की निर्माण/विकास गतिविधियां प्रतिबंधित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा फ्रीज जोन के उपरांत उपरोक्त वर्णित ग्रामों में निर्माण/विकास गतिविधियां प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार अनुमन्य होगी।

Signed by Rajendra Singh
Patiyal
Date: 27-02-2023 18:09:43

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि:-

निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित है कि प्रश्नगत अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में 50 प्रतियाँ मुद्रित करते हुए शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।


Signed by Arpan Kumar
Raju
Date: 28-02-2023 10:43:29

उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 2-स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3-सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4-सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 5-मण्डलायुक्त, कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
- 6-उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंहनगर।
- 7-संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 8-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 9-गाई फाईल।

J.C.A



Dr. Deepak